न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 52/2016

1. श्री घीसू नाथ पुत्र श्री भैरूनाथ जाति जोगी
2. श्री जगदीश नाथ पुत्र श्री भैरूनाथ जाति जोगी
   निवासीयान ग्राम बडाआसन, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर, राजस्थान।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री सुखा नाथ पुत्र श्री प्रतापनाथ जाति जोगी
2. श्री यज्ञदत्त पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा जाति ब्राम्हमण
3. श्री सीताराम पुत्र श्री भैरू जाति खाती
4. श्री देवीलाल पुत्र श्री गोकुल जाति गुर्जर
5. श्री रामेश्वर पुत्र श्री मोहन जाति माली
6. न्यू रावल श्री श्री 1008, पुजारी शंकर भगवान का मन्दिर, गांधी चौक, बडाआसन, निवासीयान ग्राम बडाआसन, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर, राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर।

.....अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक 19.04.2017

प्रार्थीगण ने अपने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम बडाआसन पटवार क्षेत्र बाडी तहसील बिजयनगर की जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 94 में ख0 न0 297, रक्बा 0–09–10 व 432 रक्बा 3–17–00 व 502/436 रक्बा 13 बिस्वा व 499/391 रक्बा 0–07–05 तथा 500/433 रक्बा 1–09–05 कुल किता 5 रक्बा 6–16–00 बीघा प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमियां है जिनको सीमाओं को लेकर पडौसी खातेदारान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के मध्य परस्पर विवाद होता रहता है। जिसका अप्रार्थी संख्या 7 के आदेश से सीमांकन करवाया गया जो पूर्णरूप से नही किया जा सका अतः प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क पर पत्थरगढी करवाना चाहते है।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 ने निवेदन किया है कि ग्राम बडा आसन स्थित आराजी ख0 न0 436 उसकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है जिस पर आने जाने का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0 न0 432 व 433 की डोल पर नवाई रावल की जमीन के पास से रहा है जिस बाबत् पूर्व में विवाद हुआ था जो समाज के मौतबिरान की समझाईश पर निपटाया गया जिसकी तहरीर स्टाम्प पर उभयपक्षान द्वारा निषादित की गई है यह हमारा कदिमी रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है और प्रार्थीगण पत्थरगढी के नाम पर इसे रोकना चाहते है अतः इस रास्ते को कायम रखते हुए पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें। अप्रार्थी संख्या 7 ने अपने जवाब में नियमानुसार पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

विव्दान अभिभाषकगण उभयपक्षान के तर्क वितर्क सुने गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ख0 न0 436, 391, 433, उभयपक्षान की संयुक्त खातेदारी में रहे होना अभिलेख पर उपलब्ध अभिलेख से जाहिर है। ख0 न0 391, एवं 433 का बराबर

बराबर रक्बा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी में है वही ख0 न0 502/436 का मात्र 13 बिस्वा रक्बा प्रार्थीगण की खातेदारी में है जबकि ख0 न0 503/436 का वृहत रक्बा 4–13–00 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी में हैं। लेकिन नक्शे में इन खसरा नम्बरान की पृथक पृथक तरमीम नही है। अप्रार्थी 1 की आराजी ख0 न0 503/436 पर जाने का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0 न0 432 एवं 433 की मेर से होकर जाना अप्रार्थी 1 द्वारा प्रस्तुत नक्शे में दर्शाया हुआ है जो पूर्णतः सही प्रतीत होता है एसे में अप्रार्थी संख्या 1 से की यह आशंका सही पाई जाती है कि प्रार्थीगण इस प्रत्थरगढी एवं तरमीम की आड में उसके रास्ते को बंद करना चाहते है।

अप्रार्थी संख्या 1 की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण चूंकि प्रश्नगत भूमियों में खातेदार काश्तकार है अतः उनका प्रार्थना पत्र आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है और तसहीलदार बिजयनगर को प्रकरण में रु 2000/– कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की आराजी ख0 न0 432 व 500/433 की डोल पर नवाई रावल की जमीन से लगावत प्रथमतः नक्शे में 12 का रास्ता कायम रखते हुए रास्ते की तरमीम करानें और प्रार्थीगण के खेत ख0 न0 500/433 की नक्शे में ख0 न0 502/436 व 499/391 की तरमीम के साथ साथ आराजी ख0 न0 297, 432, 502/436, 499/391 एवं 500/433 की पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करावें।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.03 15:31:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: